



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
व्यवस्थापन 'घ' वर्ग  
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND  
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Web- <http://govt.ua.nic.in/pwd>

E-Mail-cepwdua@gmail.com

पत्रांक 551 / 02 व्यघ-सा0 / 22

दिनांक 08 / 07 / 2022

**:कार्यालय ज्ञाप:**

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या 1/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र0<br>सं0 | नाम/पदनाम                                        | वर्तमान तैनाती                      | नवीन तैनाती                          | स्थानान्तरण किये जाने हेतु<br>अधिनियम की धारा |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                | 3                                   | 4                                    | 5                                             |
| 1           | श्री संजीव सिधल<br>अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) | सिविल वृत्त,<br>लो0नि0वि0, हरिद्वार | निर्माण खण्ड,<br>लो0नि0वि0, अल्मोड़ा | 17 (1) (क)                                    |

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/अल्मोड़ा।
- अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, हरिद्वार/अल्मोड़ा।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

  
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

व्यवस्थापन 'घ' वर्ग

लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, PWD, DEHRADUN UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-cepwduea@gmail.com

Web- http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 552 / 02 व्यघ-सा0 / 22

दिनांक 08/07/2022

### कार्यालय ज्ञापः

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों, स्थानान्तरण सत्र-2022-23 हेतु शासनादेश संख्या 124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04.2022 द्वारा जारी निर्देशों तथा शासनादेश संख्या 1/46628/2022 दिनांक 30.06.2022 द्वारा स्थानान्तरण हेतु निर्धारित अधिकतम सीमा के अन्तर्गत निम्नलिखित कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) को कार्यहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

| क्र0<br>सं0 | नाम/पदनाम                                            | वर्तमान तैनाती                       | नवीन तैनाती                       | स्थानान्तरण किये जाने हेतु<br>अधिनियम की धारा |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1           | 2                                                    | 3                                    | 4                                 | 5                                             |
| 1           | श्रीमती रेनु गुप्ता<br>अपर सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) | निर्माण खण्ड,<br>लो0नि0वि0, देहरादून | निर्माण खण्ड,<br>लो0नि0वि0, चम्बा | 17 (1) (क)                                    |

- सम्बन्धित अभियन्ता को निर्दिष्ट किया जाता है कि वह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
- संबन्धित नियंत्रक अधिकारी, स्थानान्तरित अभियन्ता को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- संबन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- स्थानान्तरित किये गये अभियन्ता के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अयाज अहमद)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/पौड़ी।
- अधीक्षण अभियन्ता, 09 वॉ/08 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून/चम्बा।
- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, .....।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।
- अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा।
- सम्बन्धित कार्मिक।
- अधिशाली अभियन्ता (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून को विभागीय वेब साइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु प्रेषित।
- गार्ड/व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

08.7.2022